न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला नीमकाथाना (राज0)

पीठासीन अधिकारी – सविता शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 382 / 2022
GCMS No. 2022/766

1. मालीराम पुत्र मूला उम्र 70 वर्ष
2. अशोक पुत्र मोहनलाल
3. अनिता पुत्री मोहनलाल
4. छोटी पुत्री मोहनलाल
5. रूकमा पुत्री मोहनलाल
6. सीमा पुत्री मोहनलाल
7. भंवरी पत्नी मोहनलाल

समस्त जाति कुम्हार निवासी बबाई तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......आवेदकगण

ब–ना–म

1. मन्दिर श्री गोपाल जी वाके ग्राम बबाई, तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं (राज.) जरिये पुजारी गोपालदास निवासी बबाई तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं (राज.)
2. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

.......अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251क,

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रास्ता चाहने

उपस्थिति अधिवक्ता :–

1. श्री ख्यालीराम सैनी – आवेदकगण की ओर से
2. श्री धर्मपाल खटाणा – अनावेदक सं. 1 की ओर से

:: निर्णय :: दिनांक 10–06–2024

यह आवेदन पत्र आवेदकगण की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम प्रतापपुरा तहसील खेतडी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 के खाता सं. 154 के खसरा नंबर 1279 / 765 रकबा 0.10 है., ख.नं. 1583 / 765 रकबा 0.32 है., ख. नं. 766 रकबा 0.32 है., ख.नं. 767 रकबा 0.30 है., ख.नं. 768 रकबा 0.24 है., ख.नं. 769 रकबा 0.35 है., ख.नं. 770 रक[illegible] कुल रकबा 1.91 है. के आवेदकगण संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज [illegible] काश्त की सुविधा के लिए सभी खातेदारों ने उपरोक्त वर्णित भूमि [illegible] तथा खसरा नंबर 767 रकबा 0.30 है. भूमि बाहमी [illegible] के हिस्से में आ[illegible] है तथा आवेदकगण खसरा नंबर 767 रकबा 0.30 है. पर [illegible] किसी बाधा के श[illegible]क काबिज काश्त है। वाके ग्राम बबाई स्थित भूमि खसरा नंबर 66 में से आम सडक बबाई (बाई पास) जा रही है जिसका उपयोग उपभोग आम नागरिक एवं आवेदकगण आने जाने के लिए लेते आ रहे हैं तथा अपनी भूमि खसरा नंबर 767 के दक्षिणी पश्चिमी कोणे से सांडशाला के सहारे–सहारे अपने खेत में आते–जाते रहे हैं तथा इसी रास्ते से अपने खेत में जुताई आदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.14 15:17:03 IST
Reason: SelfAttested

के लिए साधन ट्रेक्टर ट्राली आदि लाते ले जाते रहे हैं लेकिन आवेदकगण का उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। इस प्रकार आवेदकगण को अपने खेत खसरा नंबर 767 में आने जाने के लिए भूमि खसरा नंबर 66 की पूर्वी दिशा में सांडशाला के सहारे-सहारे 4 मीटर चौडाई में रास्ते की आवश्यकता है इसके अलावा आवेदकगण को अपने खेत खसरा नंबर 767 में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, आवेदकगण सदैव से ही इस रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा संलग्न आवेदन पत्र है। भूमि खसरा नं 66 अनावेदक सं. 1 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है लेकिन उक्त भूमि पर वर्तमान में काश्त नहीं होती है तथा अधिकतर भूमि पर आम जनता की सुविधा के लिए निर्माण एवं सडक आदि बन चुके हैं। आवेदकगण को अपने खेत खसरा नंबर 767 रकबा 0.30 है. में आने जाने के लिए रास्ता नहीं होने से भारी परेशानी का सामना करना पडता है। आवेदकगण ना तो आसानी से अपने खेत में आ जा सकते हैं एवं ना ही फसल काश्त करने के लिए ट्रेक्टर आदि साधन पहुंचते हैं तथा फसल उपज को काटने-लाटने के लिए बेचान हेतु ले जाने के लिए ट्रेक्टर एवं अन्य साधन/वाहन पहुच पाते हैं जिससे आवेदकगण को बेहद परेशानी होती है एवं आवेदकगण अपने महत्वपूर्ण खातेदारी अधिकारों का उपयोग उपभोग नहीं कर पाते हैं इसलिए आवेदकगण अपने खेत खसरा नंबर 767 में आने जाने के लिए बबाई स्थित भूमि खसरा नंबर 66 से रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिए आवेदकगण को यह आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। आवेदकगण धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की पालना करने के लिए तैयार एवं तत्पर है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम प्रतापपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 767 रकबा 0.30 है. में पहुंचने के लिए नजरी नक्शे के अनुसार वाके ग्राम बबाई स्थित भूमि खसरा नंबर 66 में से जाने वाली आम सड़क "बबाई बाईपास" की पूर्वी दिशा में सांडशाला के सहारे-सहारे 4 मीटर चौडाई में आवेदकगण की भूमि खसरा नंबर 767 तक रास्ता कायम कर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे।

आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अनावेदकगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अनावेदक सं. 1 ने जवाब आवेदन प्रस्तुत कर आवेदकगण द्वारा चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार कर कथन किया है कि खसरा नंबर 66 से आवेदकगण कभी नहीं आते जाते रहे हैं। खसरा नंबर 66 गैर मुमकिन जोहड की भूमि है। आवेदकगण श्मशान भूमि के उत्तरी तथा पूर्वी हिस्से से आते जाते रहते हैं। खसरा नंबर 66 गैर मुमकिन जोहड की भूमि है जो जोहड की पाल बनी हुई है जो जोहड में पानी निकासी को रोकती है। यदि यह पाल तोडकर आवेदकगण को रास्ता दिया जाता है तो जोहड का अस्तित्व खत्म हो जायेगा। उक्त जोहड करीब 100-125 वर्षों पुराना है जिसमें गांव के पशु आदि के लिए पानी रहता है तथा इसी जोहड में गोपाल जी का मन्दिर भी बना हुआ है। यदि उक्त पाल को तोडकर आवेदकगण को रास्ता दिया जाता है तो जोहड व मन्दिर का अस्तित्व खत्म हो जायेगा। तथा ग्रामवासियों को अपूर्तनीय क्षति होगी। मन्दिर तथा जोहड से ग्रामवासियों की आस्था जुडी हुई है। वर्तमान में जोहड की पाल सुरक्षित बनी हुई है। अतः जवाब आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन पत्र मय हर्जे खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.14 15:17:03 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार, खेतडी से विवादित भूमि के स[illegible]ौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतडी [illegible] 2023 / 185 दिनांक 10.04.2023 से बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानु[illegible]

1. आवेदकगण मालीराम वगैरह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना प[illegible] वर्णित राजस्व ग्राम प्रतापपुरा के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2076-79 के खाता संख्या 154 के खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी, खेतडी

1279/765, 1583/765, 766, 767, 768, 769, 770 कुल किता 9 कुल रकबा 1.91 है. की खातेदारी होने का उल्लेख किया है।

2. आवेदकगण द्वारा बाहमी बंटवारा के दौरान भूमि खसरा नंबर 767 रकबा 0.30 है. हिस्से में आना प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है।
3. आवेदकगणों द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि भूमि खसरा नंबर 767 रकबा 0.30 है. (राजस्व ग्राम प्रतापपुरा) मे आने जाने के लिए रास्ता नही है। इसलिए आवेदकगणों को रास्ते की परम आवश्यकता है।
4. आवेदकगणों द्वारा राजस्व ग्राम प्रतापपुरा के भूमि खसरा नंबर 767 में आने जाने के लिए राजस्व ग्राम बबाई के भूमि खसरा नंबर 66 में से रास्ते की मांग की गई है जो राजस्व ग्राम प्रतापपुरा के भूमि ख.न. 767 में पहुंचने का निकटतम व लघुतम है।
5. आवेदकगणों द्वारा राजस्व ग्राम बबाई के भूमि ख.नं. 66 में से जो रास्ते की मांग की गई है। यह ख.नं. 66 मंदिर श्री गोपाल जी स्थित करबा बबाई हिस्सा पूर्ण खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।
6. आवेदकगणों द्वारा जिस रास्ते की मांग की गई है वह ख.नं. 66 रकबा 3.64 है. किस्म गैर मुमकिन जोहड जो कि प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतडी व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बबाई का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2076–2079 खाता सं. 154 खसरा नंबर 1279/765 रकबा 0.10 है., ख.नं. 1583/765 रकबा 0.32 है., ख.नं. 766 रकबा 0.32 है., ख.नं. 767 रकबा 0.30 है., ख.नं. 768 रकबा 0.24 है., ख.नं. 769 रकबा 0.35 है., ख.नं. 770 रकबा 0.28 है. कुल किता 7 कुल रकबा 1.91 है. भूमि आवेदकगण के अलावा अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। आवेदकगण ने खसरा नंबर 767 रकबा 0.30 है. भूमि बाहमी बंटवारे में आना जाहिर कर उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदकगण द्वारा भूमि खसरा नंबर 767 में आवागमन के लिए रास्ता चाहा है उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी एवं अविभाजित है संयुक्त खातेदारी की भूमि होने के कारण सहखातेदारों की सहमति भी आवश्यक है किन्तु पत्रावली में सहखातेदार न तो पक्षकार हैं तथा ना ही उनकी किसी प्रकार से सहमति है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदकगण ने भूमि खसरा नंबर 66 रकबा 3.64 है. गै.मू. जोहड में रास्ता चाहा है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन स्वरूप आवेदकगण को आवेदन पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के तहत रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहा है। आवेदकगण का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के प्रावधानों की पूर्ति नहीं करता है।

आदेश

अतः आवदकगण का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क पालनीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनाक 10–06–2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.14 15:17:03 IST
Reason: SelfAttested

10/6/24

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतडी

उपखण्ड अधिकारी, खेतडी